दिनांक	आज्ञा पत्र
17.01.2025	प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री अतुल चौधरी ने न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सीपीसी प्रस्तुत किया है। कार्यालय रिपोर्ट प्राप्त की गई। प्रा0–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली आ.ता.पेशी दिनांक 24.02.2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी, सीकर उपखण्ड अधिकारी सीकर
24/2	पत्रावली पेश हुई। वकील/ उभयपक्ष हाजिर। पीठासीन अधिकारी आज अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वादेशानुसार दिनांक 26/3/25 को पेश हो। अप्रार्थी सं. 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यनारायण द्वारा श्री प्रार्थना पत्र पेश।
26/3	पत्रावली पेश। अधि. उभयपक्ष हाजिर। अधि. अप्रार्थी सं. 1 से 4 ने प्रार्थना पत्र के स्वीकार में मूलगाड़ फोकट नम्बर पर लेख करने सहमति प्रदान की है। अप्रार्थी सं. 5 से 13 के नामांकन हो चुके है। बावजूद नामांकन हाजिर नहीं। अतः अप्रार्थी सं. 5 से 13 के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अधि. उभयपक्ष के सहमति से मूल गाड़ मु. सरला 16/2024 बउनवानी रामलाल बनाम छोटूराम को फोकट नम्बर पर किये जाने के आदेश जारी किये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नस्ख से कम हो, मूलगाड़ के संलग्न हो। मूल गाड़ दिनांक 25/1/25 को पेश हो। निर्णय आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी, सीकर